क्रम सं. हुक्म या तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.8.24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में पुनः बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की मुख्य आपति है कि मौजा करमावास में प्रार्थी के खसरा नं 88 में 0.8318 हैक्टेयर (5.1391बीघा) भूमि पर राजमार्ग निर्माण किया जा रहा है, जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिवाना द्वारा 0.5892 हैक्टेयर (3.6403 बीघा) का प्रार्थी को मुआवजा अवार्ड दिनांक 18.01.2021 जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में कथन किया कि राज्य राजमार्ग संख्या 66 में अवाप्ताधीन भूमि मौजा करमावास के खसरा नंबर 88 में अवाप्त रकबा 0.5892 का अवार्ड दिनांक 18.01.2021 को जारी किया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल भाम्रिक होने के कारण व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने से खारिज योग्य है। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की मुख्य आपति है कि मौजा करमावास के खसरा नं 88 में मौके पर 0.8318 हैक्टेयर (5.1391बीघा) भूमि पर राजमार्ग निर्माण किया जा रहा है, जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिवाना द्वारा 0.5892 हैक्टेयर (3.6403 बीघा) का ही प्रार्थी को मुआवजा अवार्ड जारी किया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें पाया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त खसरे में कितने हैक्टेयर में राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया मूल अभिलेख में खसरा नं 88 में 0.5892 हैक्टेयर(3.6403 बीघा) का मुआवजा अवार्ड दिनांक 18.01.2021 को जारी होना बताया गया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौजा करमावास के खसरा नंबर 88 के मौके पर कितने हैक्टेयर में राजमार्ग का निर्माण हुआ है, की वास्तविक स्थिति का पता करते हुए अपने स्तर पर पक्षकारों से नये सिरे से साक्ष्य प्राप्त कर एवं पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर बालोतरा	